

5



कुंदन

हिंदी व्याकरण

अध्यापक सहायक-पुस्तिका



 **WOODS**
BOOK PUBLISHING

कुंदन हिंदी व्याकरण-5

1. भाषा और व्याकरण

(क) 1. मौखिक 2. अंग्रेज़ी 3. देवनागरी 4. तीन (ख) 1. भाषा 2. अंतर्राष्ट्रीय 3. देवनागरी 4. व्याकरण 5. लिखित (ग) 1. (iii) 2. (iv) 3. (i) 4. (v) 5. (ii) (घ) 1. X 2. ✓ 3. X 4. X 5. ✓ (ङ) 1. भाषा के दो भेद होते हैं—(1) मौखिक भाषा (2) लिखित भाषा 2. मौखिक ध्वनियों को लिखित रूप में प्रकट करने के लिए निश्चित किए गए चिहनों को 'लिपि' कहा जाता है। 3. बच्चा सबसे पहले अपनी माता द्वारा जिस भाषा को सीखता है, उसे 'मातृभाषा' कहते हैं। 4. वह शास्त्र, जो किसी भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, पढ़ना, समझना व लिखना सिखाता है, व्याकरण कहलाता है। 5. व्याकरण के तीन अंग हैं—(1) वर्ण विचार (2) शब्द विचार (3) वाक्य विचार करने की बारी—स्वयं करें।

2. वर्ण-विचार

(क) 1. वर्ण 2. तीन 3. 25 4. चार 5. मात्रा (ख) 1. वर्णमाला 2. तीन 3. संयुक्त 4. द्वित्व 5. अंतःस्थ (ग) 1. ✓ 2. ✓ 3. X 4. X 5. X (घ) 1. भाषा की सबसे छोटी इकाई, जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते, 'वर्ण' या 'अक्षर' कहलाती है। वर्ण के दो भेद होते हैं—(1) स्वर (2) व्यंजन 2. जिन ध्वनियों को बोलने के लिए किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती, उन्हें स्वर कहते हैं। स्वर के तीन भेद हैं—(1) ह्रस्व स्वर (2) दीर्घ स्वर (3) प्लुत स्वर 3. वे ध्वनियाँ, जिन्हें बोलने के लिए अन्य वर्णों की सहायता लेनी पड़ती है; उन्हें 'व्यंजन' कहते हैं। क, ख, ग, घ... ह व्यंजन हैं। 4. जो वर्ण दो व्यंजनों के मिलने से बनता है, उसे 'संयुक्त व्यंजन' कहते हैं। करने की बारी—स्वयं करें।

3. शब्द-विचार

(क) 1. शब्द 2. चार 3. सार्थक 4. तीन (ख) 1. चार 2. दो 3. योगरूढ़ 4. सार्थक (ग) 1. ✓ 2. ✓ 3. X 4. X 5. ✓ (घ) गृह, गौ, क्षेत्र, सर्प, कर्ण, कूप, धैर्य, मृत्तिका (ङ) स्वयं करें। (च) 1. ऐसे शब्द, जिनके खंड करने पर उनके खंडों का कोई अर्थ नहीं निकलता है, 'रूढ़ शब्द' कहलाते हैं; जैसे-शेर, फल, घोड़ा, हाथी, घर, कुत्ता, मोर, कमल आदि। 2. ऐसे शब्द, जिनका कोई निश्चित अर्थ होता है, उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं; जैसे-चाय, दूध, गुड़िया, घोड़ा, रोटी, घड़ी आदि। वे शब्द, जिनका कोई निश्चित अर्थ नहीं होता है, उन्हें 'निरर्थक शब्द' कहते हैं; जैसे-वाय, वूध, वुड़िया, वोड़ा, वोटी, वड़ी आदि। 3. अर्थ के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं—(i) सार्थक शब्द (ii) निरर्थक शब्द। 4. उत्पत्ति के आधार पर शब्द चार प्रकार के होते हैं—(1) तत्सम शब्द (2) तद्भव शब्द (3) देशज शब्द (4) विदेशी शब्द 5. वाक्य में प्रयोग करने पर जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, कारक व काल आदि के कारण कोई बदलाव नहीं होता, वे 'अविकारी शब्द' कहलाते हैं।

क्रिया-विशेषण, संबंधबोधक, समुच्चयबोधक, विस्मयादिबोधक शब्द अविकारी शब्द हैं।
करने की बारी—स्वयं करें।

4. संधि

(क) 1. मेल 2. तीन 3. विसर्ग संधि 4. निः + रोग (ख) 1. संधि 2. स्वर संधि 3. गुण 4. अयादि (ग) 1. महा + उत्सव 2. रमा + इंद्र 3. रजनी + ईश 4. हिम + आलय 5. परीक्षा + अर्थी (घ) 1. निकटवर्ती वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं। 2. स्वर संधि के निम्नलिखित पाँच उपभेद हैं—(1) दीर्घ संधि (उदाहरण—धर्म+अर्थ=धर्मार्थ) (2) गुण संधि (उदाहरण—राजा+इंद्र=राजेन्द्र) (3) वृद्धि संधि (उदाहरण—तथा+एव=तथैव) (4) यण् संधि (उदाहरण—यदि+अपि=यद्यपि) (5) अयादिसंधि (उदाहरण—गै+अन=गायन) 3. यदि 'अ' या 'आ' के बाद 'इ' या 'ई' हो, तो दोनों के स्थान पर 'ए'; यदि 'उ' या 'ऊ' हो, तो दोनों के स्थान पर 'ओ' और यदि 'ऋ' हो तो 'अर्' हो जाता है। इसे गुण संधि कहते हैं। 4. परस्पर मिलने वाले दो शब्दों में से पहले शब्द के अंत में विसर्ग (:) और दूसरे शब्द के आरंभ में स्वर या व्यंजन के होने वाले मेल को विसर्ग संधि कहते हैं। **करने की बारी—स्वयं करें।**

5. संज्ञा

(क) 1. इन सभी को 2. समूहवाचक संज्ञा 3. अव्यय से (ख) 1. व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक संज्ञा 2. जातिवाचक 3. जातिवाचक 4. भाववाचक (ग) 1. ✓ 2. ✓ 3. ✗ 4. ✗ (घ) 1. किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव आदि का बोध कराने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। 2. संज्ञा के मुख्यतः तीन भेद हैं— (1) व्यक्तिवाचक (2) जातिवाचक (3) भाववाचक 3. जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, स्थान, वस्तु का बोध हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं; जैसे—स्वामी विवेकानंद, संसद भवन, कनाॅट प्लेस, रामायण आदि। 4. जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ के सामान्य जातिगत नाम का बोध हो, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं; जैसे—गाँव, वृक्ष, सिंह, आदमी, स्त्री, नगर, किताब आदि। **करने की बारी—स्वयं करें।**

6. लिंग

(क) 1. पाठिका 2. हिरन 3. स्त्रीलिंग 4. गायिका (ख) 1. मालिन 2. पुजारी 3. चालक 4. लेखक 5. लेखिका (ग) 1. स्त्री 2. वीरांगना 3. शिष्या 4. राजकुमारी 5. गाय (घ) 1. शब्द के जिस रूप से यह पता चलता है, कि वह नर है या मादा, उसे लिंग कहते हैं। 2. हिंदी में लिंग दो प्रकार के होते हैं—पुल्लिंग और स्त्रीलिंग 3. सदैव स्त्रीलिंग रहने वाले चार शब्द—तितली, कोयल, मैना, चील सदैव पुल्लिंग रहने वाले चार शब्द—तोता, मच्छर, उल्लू, खटमल 4. जो संज्ञा शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं, उन्हें पुल्लिंग कहते हैं। **करने की बारी—स्वयं करें।**

7. वचन

(क) 1. संख्या में एक होना 2. तितली 3. संख्या 4. क्रिया के बहुवचन रूप का (ख) 1. बस्ता 2. कहानियाँ 3. पौधे 4. भाषाएँ (ग) 1. महिलाएँ 2. केले 3. जातियाँ 4. अध्यापिकाएँ 5. बुढ़ियाँ 6. मित्रगण 7. पुस्तकें 8. वस्तुएँ 9. कलियाँ 10. चिड़ियाँ 11. लड़के 12. बातें (घ) 1. शब्द के जिस रूप से उसके एक या एक से अधिक होने का बोध हो, उसे वचन कहते हैं। 2. एकवचन का अर्थ है—संख्या में एक होना। जैसे—लड़की, चिड़िया, किताब, गमला, माला, चाबी आदि। ये सभी प्राणी तथा वस्तुएँ संख्या में एक-एक हैं। बहुवचन का अर्थ है—संख्या में एक से अधिक होना। जैसे—लड़कियाँ, चिड़ियाँ, किताबें, गमले, मालाएँ, चाबियाँ आदि। इन सभी संज्ञा शब्दों से पता चलता है, कि इनकी संख्या एक से अधिक है। 3. बहुवचन का 4. भाववाचक तथा द्रव्यवाचक संज्ञाओं के बहुवचन नहीं होते; जैसे—एक पानी, दो पानी, का प्रयोग नहीं होता है। इसी प्रकार, एक दुःख, दो दुःख भी ठीक नहीं है। वाक्य-प्रयोग में सदैव पानी व दुःख का ही प्रयोग किया जाता है। **करने की बारी—स्वयं करें।**

8. कारक

(क) 1. आठ 2. को 3. सर्वनाम (ख) 1. ने, की 2. ने, में, को 3. से 4. पर 5. से (ग) 1. संप्रदान 2. संबंध 3. अधिकरण 4. कर्म 5. करण, अपादान (घ) 1. छत 2. पेड़ 3. सीता 4. भारत 5. श्यामा (ङ) 1. जिन शब्दों से संज्ञा अथवा सर्वनाम का संबंध, वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ जाना जाता है, वे कारक कहलाते हैं। 2. कारक चिह्न को परसर्ग कहते हैं। 3. सभी कारकों के नाम व उनके विभक्ति चिह्न—(1) कर्ता—‘ने’ या कोई चिह्न नहीं (2) कर्म—को (3) करण—से/के द्वारा (4) संप्रदान—के लिए, को (5) अपादान—से (अलगाव) (6) संबंध—का, के, की; रा, रे, री (7) अधिकरण—में, पर (8) संबोधन—हे!, अरे! 4. **करण कारक**—जिस साधन से कर्ता कोई कार्य करता है, उसे करण कारक कहा जाता है; इसके विभक्ति चिह्न ‘से’, ‘के द्वारा’ हैं; जैसे—(क) रवि ने डंडे से बंदर को मारा। (ख) राहुल बस के द्वारा कानपुर गया। अधिकरण कारक—शब्द के जिस रूप से, क्रिया के घटिक होने के स्थान का बोध हो, उसे अधिकरण कारक कहते हैं। इसके विभक्ति चिह्न ‘में’, ‘पर’ हैं; जैसे—(क) मछलियाँ पानी में तैर रही हैं। (ख) कोयल वृक्ष पर बैठी है। **करने की बारी—स्वयं करें।**

9. सर्वनाम

(क) 1. छह 2. तीन 3. अनिश्चयवाचक 4. निश्चयवाचक (ख) 1. मेरा 2. कोई 3. किस 4. वैसा 5. उसकी (ग) 1. कुछ, अनिश्चयवाचक 2. आप, मध्यम पुरुषवाचक 3. कौन, प्रश्नवाचक 4. तुम्हारा, कोई, मध्यम पुरुषवाचक, अनिश्चयवाचक (घ) स्वयं करें। (ङ) 1. वाक्यों में संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग में आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहा जाता है। 2.

सर्वनाम के छह भेद होते हैं—(1) पुरुषवाचक सर्वनाम (2) निश्चयवाचक सर्वनाम (3) अनिश्चयवाचक सर्वनाम (4) संबंधवाचक सर्वनाम (5) प्रश्नवाचक सर्वनाम (6) निजवाचक सर्वनाम 3. जो सर्वनाम शब्द किसी पुरुष के नाम के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, वे पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं; जैसे—मैं, मेरा, तू, तुम, आप, वह, वे आदि। 4. **निश्चयवाचक सर्वनाम**—जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित संज्ञा शब्द के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, वे निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं; जैसे—यह, वह। **अनिश्चयवाचक सर्वनाम**—जो सर्वनाम शब्द किसी अनिश्चित संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है; जैसे—कोई, कुछ। 5. जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग, कर्ता के निजत्व के लिए किया जाता है, उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं; जैसे—स्वयं, अपने आप आदि। **करने की बारी**—स्वयं करें।

10. विशेषण

(क) 1. पाँच 2. दो 3. संकेतवाचक 4. विशेष्य (ख) 1. यह 2. लाल 3. पाँच 4. पाँच लीटर 5. दो (ग) 1. ✓ 2. ✗ 3. ✓ 4. ✓ (घ) 1. इमारत 2. आम 3. सेब 4. कोयल 5. तेल (ङ) 1. संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं; जैसे—एक, ऊँचा, विशाल, सुंदर, कुछ, काला, मोटा आदि। 2. विशेषण पाँच प्रकार के होते हैं—(1) गुणवाचक विशेषण (2) संख्यावाचक विशेषण (3) परिमाणवाचक विशेषण (4) सार्वनामिक विशेषण (5) व्यक्तिवाचक विशेषण 3. जो सर्वनाम पद, संज्ञा से पहले उसके विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं, सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं; जैसे—यह, वह, वे, कौन, जो, जिन आदि। **उदाहरण**—(क) यह घर मेरा है। (ख) वह लड़की बुद्धिमान है। 4. **परिमाणवाचक विशेषण**—संज्ञा या सर्वनाम के परिमाण का बोध कराने वाले शब्दों को परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं; जैसे—दो किलो, तीन मीटर, दस लीटर, कुछ, थोड़ा, अधिक आदि। **संख्यावाचक विशेषण**—संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित अथवा अनिश्चित संख्या का बोध कराने वाले शब्दों को संख्यावाचक विशेषण कहते हैं; जैसे—एक, दो, तीन, दस, बीस, कुछ, अनेक, कम, अधिक आदि। **करने की बारी**—स्वयं करें।

11. क्रिया

(क) 1. क्रिया के मूल रूप को 2. छह 3. ये दोनों (ख) 1. लिखना 2. बोलते 3. खरीदे 4. बना 5. पढ़ी (ग) 1. जिस शब्द से किसी कार्य के करने अथवा होने का बोध हो, उसे क्रिया कहते हैं। जैसे—‘पढ़ रही है, दौड़ रहा है’ क्रिया हैं। 2. प्रयोग (संरचना) के आधार पर क्रियाओं के भेदों के नाम निम्नलिखित हैं—(1) सामान्य क्रिया (2) संयुक्त क्रिया (3) प्रेरणार्थक क्रिया (4) पूर्वकालिक क्रिया (5) नामधातु क्रिया (6) विधिसूचक क्रिया 3. (1) **सकर्मक क्रिया**—जब कर्ता की क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है और वाक्य में कर्ता,

क्रिया व कर्म तीनों का समावेश होता है, तो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं; जैसे—(क) वाल्मीकि ने रामायण लिखी। (ख) किरण फल खाती है। (ग) मदन क्रिकेट खेलता है। उपर्युक्त वाक्यों में कर्ताओं की क्रिया का फल कर्म (क्रमशः रामायण, फल व क्रिकेट) पर पड़ रहा है। इस प्रकार, कर्ता की क्रिया का फल जब कर्म पर पड़ता है, तो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। **अकर्मक क्रिया**—जब केवल कर्ता और क्रिया मिलकर वाक्य को पूर्णता देते हैं; वाक्य में कर्म नहीं होता, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं; जैसे—(क) पीटर हँसता है। (ख) मोहित सो रहा है। (ग) रूपा खाती है। इस प्रकार, जब कर्ता की क्रिया का फल कर्ता पर ही पड़ता है, तो वह अकर्मक क्रिया कहलाती है। **करने की बारी**—स्वयं करें।

12. काल

(क) 1. तीन 2. चल रहा समय 3. भविष्यत् काल का (ख) 1. मैं छुट्टियों में दादी के घर जाऊँगी 2. आँधी चल रही है। 3. मम्मी खाना बनाती हैं। 4. मैंने पार्सल भिजवाया था। 5. रूपा आर्यन के लिए खिलौने लाई। (ग) 1. भविष्यत् काल 2. वर्तमान काल 3. भूतकाल 4. भूतकाल 5. वर्तमान काल (घ) 1. क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने या करने के समय का बोध होता है, उस समय को ही 'काल' कहते हैं। 2. काल तीन प्रकार के होते हैं—(1) वर्तमान काल (2) भूतकाल (3) भविष्यत् काल 3. क्रिया के जिस रूप से उसके वर्तमान समय में होने का पता चले, उसे 'वर्तमान काल' कहते हैं; जैसे—(क) रवि पढ़ रहा है। (ख) धोबी कपड़े धोता है। 4. क्रिया के जिस रूप से उसके बीते हुए समय में होने का बोध हो, उसे 'भूतकाल' कहते हैं; जैसे—(क) मैं स्कूल जा रहा था। (ख) हमने भोजन किया था। 5. क्रिया के जिस रूप से उसके आने वाले समय में होने का बोध हो, उसे 'भविष्यत् काल' कहते हैं; जैसे—(क) नर्स मरीज को इंजेक्शन लगाएगी। (ख) मैं और पिताजी बाज़ार जाएँगे। **करने की बारी**—स्वयं करें।

13. अव्यय शब्द

(क) 1. अविकारी 2. क्रिया-विशेषण 3. चार 4. कालवाचक क्रिया-विशेषण (ख) 1. शांतिपूर्वक 2. प्रतिदिन 3. आर-पार 4. धीरे-धीरे 5. बहुत (ग) 1. चारों ओर 2. शीघ्र 3. ज़ोर से 4. प्रतिदिन 5. थोड़ा (घ) स्वयं करें। (ङ) 1. वाक्य में प्रयोग करने के बाद जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता, उन्हें अव्यय शब्द कहते हैं। 2. क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया- विशेषण कहलाते हैं; जैसे-तेज़, धीरे-धीरे, जल्दी-जल्दी, प्रतिदिन आदि। 3. क्रिया- विशेषण के चार भेद हैं—(1) काल-वाचक/समयवाचक क्रिया-विशेषण (2) स्थानवाचक क्रिया-विशेषण (3) परिमाणवाचक क्रिया-विशेषण (4) रीतिवाचक क्रिया-विशेषण 5. जो शब्द क्रिया की मात्रा का बोध कराते हैं, उन्हें परिमाणवाचक क्रिया-विशेषण कहते हैं; जैसे-थोड़ा, बहुत, कम, अधिक, खूब,

जितना, उतना आदि। **करने की बारी**—स्वयं करें।

14. संबंधबोधक अव्यय

(क) 1. के अंदर 2. के पास 3. की अपेक्षा (ख) 1. के किनारे 2. के अंदर 3. के नीचे (ग) स्वयं करें। (घ) 1. जो अव्यय किसी संज्ञा या सर्वनाम के बाद आकर, वाक्य के दूसरे शब्द से उस संज्ञा या सर्वनाम का संबंध बताता है, उसे संबंधबोधक कहते हैं। 2. के बीच, के अतिरिक्त, के जैसा, के लिए, की अपेक्षा। **करने की बारी**—से दूर, के नीचे, के पीछे, के अंदर, के बीच, के बाद

15. समुच्चयबोधक अव्यय

(क) 1. इसलिए 2. और 3. लेकिन (ख) 1. और 2. किंतु 3. क्योंकि (ग) 1. मैंने ध्यान से पढ़ाई नहीं की इसलिए पास नहीं हुई। 2. आज खाना बाहर से आया है क्योंकि माँ बीमार हैं। 3. यदि मन लगाकर पढ़ाई करोगे तो सफल हो जाओगे। (घ) 1. जो अव्यय दो शब्दों, वाक्यांशों अथवा वाक्यों को आपस में जोड़ने का कार्य करते हैं, उन्हें समुच्चयबोधक अव्यय कहते हैं। 2. बल्कि, किंतु, तथा, या, कि। **करने की बारी**—स्वयं करें।

16. विस्मयादिबोधक अव्यय

(क) 1. ! 2. हाय 3. ये दोनों (ख) 1. शाबाश!, अहा! 2. धिक्!, छि: छि:!, 3. हे!, ओ! 4. हट!, धत्! 5. सावधान!, बचो! (ग) 1. स्वयं करें। (घ) 1. जिन अव्यय शब्दों से हर्ष, शोक, भय, घृणा आदि भाव व्यक्त हों, उन्हें विस्मयादिबोधक अव्यय कहते हैं। 2. विस्मयादिबोधक अव्यय का प्रयोग वाक्य के शुरू में होता है। **करने की बारी**—1. हाय 2. वाह 3. छि: 4. अहा 5. अहा 6. अरे

17. शब्द-भंडार

(क) 1. ये दोनों 2. दुर्गम 3. वाचाल 4. हाथ 5. मंडल (ख) स्वयं करें। (ग) 1. मृदुभाषी 2. परोपकारी 3. दशक 4. अजेय 5. दर्शनीय (घ) स्वयं करें। **करने की बारी**—स्वयं करें।

18. शुद्ध करना

(क) 1. चाहिए 2. यद्यपि 3. आइए 4. कवयित्री 5. क्षमा 6. शुरू 7. विधि 8. दिवाली 9. आज्ञादी 10. अधीन 11. बाँह 12. परीक्षा 13. बाज़ार 14. कृपया (ख) 1. सेर 2. सजा 3. और 4. अचार 5. घटा (ग) कलश, संतोष, अर्थ, कारण, सावन, अभिलाषा, चिह्न, श्रीमती, प्रसाद, स्वास्थ्य, पूजनीय, अमृत, दोष, संन्यासी, आकाश, बीमारी (घ) 1. मुझे अपना काम शांति से करने दो। 2. आपको कितने केले दूँ? 3. मेरे भाईसाहब शाम को रेल से आएँगे। 4. नौकर खाना मेज़ पर रखकर आ गया। 5. आज रविवार है। 6. प्रातःकाल घूमना चाहिए। **करने की बारी**—स्वयं करें।

19. वाक्य विचार

(क) 1. आज्ञावाचक 2. निषेधवाचक 3. संदेहवाचक 4. इच्छावाचक (ख) 1. निषेधवाचक 2. आज्ञावाचक 3. आज्ञावाचक 4. संदेहवाचक 5. विधानवाचक (ग) 1. मिश्रित 2. सरल 3. संयुक्त (घ) 1. शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। 2. उद्देश्य—वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाता है, वह उद्देश्य कहलाता है; जैसे—राम घर जाता है। इस वाक्य में 'राम' के बारे में बताया गया है; अतएव वाक्य में 'राम' उद्देश्य है। विधेय—वाक्य में उद्देश्य के संबंध में जो कुछ बताया जाता है, वह विधेय कहलाता है; जैसे—उपर्युक्त वाक्य 'राम घर जाता है।' में 'घर जाता है' विधेय है क्योंकि 'राम' उद्देश्य के बारे में यही बताया गया है। 3. जिस वाक्य में न/नहीं/मत का प्रयोग होता है उसे निषेधवाचक वाक्य कहते हैं; जैसे—(i) फूल मत तोड़ो। (ii) मैं दिल्ली नहीं जाऊँगा। 4. रचना के आधार पर वाक्य तीन प्रकार के होते हैं—(1) सरल वाक्य (2) संयुक्त वाक्य (3) मिश्र वाक्य। **करने की बारी**—स्वयं करें।

20. विराम चिह्न

(क) 1. ; 2. ? 3. ° 4. () (ख) 1. 7 2. 3 3. 3 4. 3 5. 3 (ग) 1. (iii) 2. (ii) 3. (i) 4. (iv) 5. (v) (घ) 1. चाचा जी ने कहा, "रविवार को मॉल में चलेंगे।" 2. लगातार परिश्रम करते रहो। 3. राधिका बोली, "भूख लगी है।" 4. वाह! कितना सुंदर दृश्य है। 5. क्या तुम्हें पेंसिल चाहिए? (ङ) 1. बोलते, पढ़ते और लिखते समय भावों और अर्थ की स्पष्टता के लिए, वाक्यों के मध्य तथा अंत में रुकने का संकेत देने वाले जो चिह्न प्रयोग में लाए जाते हैं, उन विशेष चिह्नों को 'विराम-चिह्न' कहते हैं। 2. वाक्य का सही अर्थ प्रकट करने के लिए विराम-चिह्नों का प्रयोग किया जाता है। 3. प्रश्नसूचक वाक्यों के अंत में प्रश्नवाचक चिह्न लगाए जाते हैं; जैसे—(1) किशोर, तुम वहाँ क्यों गए थे? (2) तुम कहाँ जा रहे हो? 4. लाघव चिह्न का प्रयोग किसी उपाधि के नाम को संक्षिप्त रूप से लिखने के लिए किया जाता है; जैसे—(1) प्रधानमंत्री—प्र०मं० (2) डॉक्टर—डॉ० (3) प्रोफ़ेसर—प्रो० 5. अपनी बात को और अधिक स्पष्ट करने के लिए, कोष्ठक चिह्न का प्रयोग किया जाता है। जैसे—(1) माया (हँसते हुए), माँ, मैं प्रथम आई हूँ। (2) मेरा दोस्त (सोहन) मुझसे मिलने आया है। **करने की बारी**—स्वयं करें।

21. मुहावरे

(क) 1. बहुत मूर्ख होना 2. हैरान रह जाना 3. बहुत खुश होना (ख) 1. नौ दो ग्यारह 2. भीगी बिल्ली 3. पापड़ बेलने 4. मुँह में पानी आ गया (ग) 1. बहुत खुश होना 2. मार देना 3. भाग जाना 4. काम न बनना (घ) स्वयं करें। **करने की बारी**—स्वयं करें।

22. लोकोक्तियाँ

(क) 1. एक गलत व्यक्ति साथ रहने वालों को भी बदनाम कर देता है। 2. समय निकल जाने पर पछताना व्यर्थ है। 3. निष्पक्ष न्याय। (ख) स्वयं करें। **करने की बारी**—स्वयं करें।